मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा विकसित एकता विहार (दक्षिणी) एवं एकता विहार (उत्तरी) योजना के पूर्व अनुमोदित तलपट मानचित्रों में वर्तमान स्थलीय स्थिति एवं भूमि के विवाद के निराकरण के फलस्वरूप आंशिक संशोधन किये गये है। योजना में पुनर्नियोजन कर तैयार किये गये पार्ट ले–आउट प्लान्स का अवलोकन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय के प्रथम तल स्थित नियोजन अनुभाग में किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है।

उपरोक्तानुक्रम में एकता विहार (दक्षिणी) एवं एकता विहार (उत्तरी) योजना के पूर्व अनुमोदित तलपट मानचित्र में उक्त पार्ट ले–आउट प्लान की सीमा तक आंशिक संशोधन किये जाने के प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 134वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.12.2023 में प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। बोर्ड के निर्णय के अनुपालन मे एकता विहार (दक्षिणी) एवं एकता विहार (उत्तरी) योजना के पूर्व अनुमोदित तलपट मानचित्र में पार्ट ले–आउट प्लान की सीमा तक आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में जन–सामान्य से उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13(3) के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है।

अतः प्रस्तुत प्रकरणों में यदि कोई व्यक्ति/संस्था अपनी आपत्ति/सुझाव देना चाहे, तो उक्त 'सार्वजनिक सूचना' के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के अन्तर्गत अपनी आपत्ति/सुझाव नियमानुसार नया मुरादाबाद, दिल्ली रोड स्थित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद